न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर (भरतपुर)

Y3

पीठासीन अधिकारी ललित मीना आर.ए.एस
प्रकरण संख्या 33/09 उनवान

1. कल्ला आयु 55 साल पुत्र स्व. सुगन जाति जाटव निवासी खोहरी तह0 वैर जिला भरतपुर।
—वादी

बनाम

1. श्रीमती रामदेई आयु 82 साल पत्नि स्व0 भवरी जाति जाटव निवासी खोहरी तह0 वैर भरतपुर।

—असल प्रतिवादीगण

दावा डिक्लेरेशन व हुक्म इम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर टी एक्ट

उपस्थितः—1. श्री एड. देवेद्र पाठक— वादी
2. श्री एड़ ओमप्रकाश व्यास—प्रतिवादी

निर्णय दिनांक—14.02.2024

वादी की ओर से वादपत्र अंतर्गत धारा 88,89,188 आरटी एक्ट इस न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादी स्व0 सुगन पुत्र श्री दौजी जाटव नि0 खोहरी तह0 वैर का एकमात्र पुत्र एवं विधिक वारिस है वादी के पिता सुगन पुत्र दौजी का स्वर्गवास दिनांक 21.12.2008 को हो चुका है। वादी के स्व0 पिता सुगन द्वारा छोडी गई आराजी ख0 नम्बर 50 रकवा 19 विश्वा, 51 रकवा 1 बीघा 15 विश्वा, 176 रकबा 10 विश्वा , 177 रकबा 14 विश्वा, 259 रकबा 1 बीघा 06 विश्वा, 355 रकबा 7 बीघा 4 विश्वा कुल किता 6 रकबा 12 बीघा 8 विश्वा वाके ग्राम खोहरी तह0 वैर भरतपुर से 1/3 हिस्सा स्थित है जिसका वादी एकमात्र खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है तथा राज्य सरकार को राज लगान अदा करता चला आ रहा है।

उपरोक्त आराजी वादी की पैतृक एवं कब्जे काश्त की आराजी है जो कि वादी को अपने स्व0 पिता सुगन से विरासतन प्राप्त हुई है, जिसे वादी अपने पिता स्व0 सुगन के जीवनकाल से काबिज रह कर वर्तमानपर्यन्त काश्त करता चला आ रहा है। वादी की मॉ का स्वर्गवास हो चुका है और वादी के पिता द्वारा छोडी गई आराजी से प्रतिवादिनी का कोई भी सबंध व सरोकार नहीं रहा है और न ही कभी कब्जा व काश्त रहा है लेकिन प्रतिवादिनी अपने आपको फर्जी तरीके से मृतक सुगन की पत्नि बनकर वादी के पिता द्वारा छोडी गई आराजी को हतियाना चाहती है जबकि प्रतिवादिनी स्व0 भवरी की विधवा औरत है और उसके फत्तेसिंह व हरीचरन पुत्रांन भवरी उसके सगे पत्रांन है इस प्रकार वह वादी के मृतक पिता सुगन की विधिक वारिस भी नही है और न ही उसे मृतक सुगन द्वारा छोडी गई आराजी में कोई भी विधिक रूप से अधिकार ही प्राप्त होते हैं। प्रतिवादिनी ने अपने पुत्र फत्तेसिंह व हरीचरन के वहकावे में आकर वादी की पैतृक एवं कब्जे काश्त की आराजी को हडपने की बेइमानी की मंशा में वादी को दिनांक 02.02.2009 को खुलेआम धमकी दी है कि मे तेरे मृतक पिता सुगन का दाखिला खारिज अपने नाम कराकर तुझे उक्त आराजी से बेदखल व महरूम कर दूंगा और तुझे उक्त आराजी में काश्त नहीं करने दूंगा तथा दाखिला अपने नाम कराकर किसी दीगर व्यक्ति को वेच दूंगी। प्रतिवादिनी अपनी उपरोक्त धमकी की मंशा में सफल हो गई तो वादी को सख्त हक तलफी व वर्बादी होगी। और वह अपनी पैतृक एवं कब्जे काश्त की आरजी से महरूम व वेदखल हो जावेगा और शांति से काश्त नहीं कर सकेगा तथा वादी का अपनी उपरोक्त कृषि से होने वाली आजीविका से महरूम हो जायेगा तथा बच्चे भूखे मर जावेगें और वादी को अपरमित क्षति होगी जिसकी क्षति—पूर्ति किसी भी प्रकार से नहीं हो सकेगी वदी वजह वादी को अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने एवं प्रतिवादिनी को जरिये हुक्म इंम्तनाई

आगी से पावंद करा पाने का अधिकारी है। वाद का कारण दिनांक 02.02.2009 को प्रतिवादिनी द्वारा वादी को उक्त आराजी से महरूम व वेदखल करने व आराजी पर जबरन कब्जा करने व वादी के पिता मृतक सुगन का अपने नाम फर्जी से दाखिला कराने की धमकी व मुकाम खोहरी तह0 वैर पैदा हुआ है। अतः दावा वादी अंदर अवधि में पेश है वाद–ग्रस्त आराजी व पक्षकारान का निवास न्यायालय हाजा को उक्त वाद की सुनपाई के प्राप्त हैं। दावे की सुनवाई के लिए न्याय शुल्क व तलवाना हक कायदा अनुसार पेश है। वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादिनी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे यह घोषित फरमाया जावे कि वाद–पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित आराजी में 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार एवं काबिज काश्तकार आराजी है उपरोक्त घोषणा के आधार पर सुगन पुत्र दौजी जाटव के स्थान पर वादी को न्यारानूर खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी कागजात पटवार में दर्ज कराया जावे। प्रतिवादिनी को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से पावंद फरमाया जावे कि वह वाद–पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित आराजी में वादी के निहित 1/3 हिस्से के कब्जे काश्त एवं उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत बेजा नहीं करें। दावा दर्ज किया जाकर प्रतिवादिनी को जरिये सम्मन तबल किया गया। प्रतिवादी द्वारा जबाव प्रस्तुत किया गया कि आराजी ख0 नम्बरान 60 रकवा 19 विश्वा 51 रकवा 1 वीघा 15 विश्वा 176 रकवा 10 विश्वा 177 रकवा 14 विश्वा 259 रकवा 1 वीघा 6 विश्वा 355 रकवा 7 वीघा 4 विश्वा किता 6 रकवा 12 वीघा 8 विश्वा वाके ग्राम खोहरी तह0 वैर में स्थित है जो कि मृतक सुगन के कब्जे काश्त की आराजी रही है मृतक सुगन के वादी एवं प्रतिवादिनी रामदेई दोनो ही विधिक वारिसान हैं इसके अलावा अन्य कोई भी वारिस मृतक सुगन का नहीं है तथा मृतक सुगन के द्वारा छोडी गई उपरोक्त आराजी के 1/3 हिस्से को वादी एवं प्रतिवादिनी रामदेई ही काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी कल्ला का न्यारानूर मृतक सुगन का वारिस नहीं है लेकिन वादी अपने आप को मृतक सुगन का वारिस न्यारानूर बतलाकर उपरोक्त आराजी को हडपना चाहता है इसलिए वादी का वाद चलने योग्य नही है एवं काबिल ए तारीफ है प्रतिवादिनी रामदेई मृतक सुगन की औरत है उपरोकत वाद में अन्य हिस्से दारान को भी फरीक मुकदमा नहीं बनाया गया है इसलिए वादी का वाद काबिल ए खारिज ही है। प्रतिवादिनी रामदेई हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मृतक सुगन के द्वारा छोडी गई आराजी में से 1/6 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है तथा इसीप्रकार वादी भी मृतक सुगन की आराजी में 1/6 हिस्से को प्राप्त करने का अधिकारी है वादी का मां रामौती का स्वर्गवास असरा करीब 35 साल पूर्व हो चुका था और उसके स्वर्गवास होने के वाद मृतक सुगन ने प्रतिवादिनी रामदेई से शादी कर ली थी और इस प्रकार प्रतिवादिनी मृतक सुगन की विधवा औरत है इस तथ्य की पुष्टि में पहचान पत्र भारत सरकार निर्वाचन आयोग की छायाप्रति संलग्न है। प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रकरण में प्रस्तुत नही किये हैं।

वाद–पत्र के आधार पर दावे में तनकीयात कायम की गईः–

1. विवादित आराजी मुनदर्जे न0 02 वादी हाजा के खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी हैं।

2. आयाप्रतिवादी द्वारा दिनांक 02.02.2009 को वादी को आराजी मुतनाजा से वेदखल करने की व आराजी हो दीगर जगह रहनवय करने की धमकी दी है।

3. आया वादी प्रतिवादिनी के खिलाफ खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है।

4. आया मृतक सुगन के फरीकेन दोनो ही वारिस हैं व अन्य कोई वारिस नहीं है।

5. आया प्रतिवादिनी मृतक सुगन की विधवा औरत है।

6. दादर्शी

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 जमाबंदी सवंत 2059 से 2062 प्रदर्श 02 वारिस प्रमाण–पत्र सुगन प्रदर्श 03 राशन–कार्ड कल्ला राम प्रदर्श 04 वंशावली प्रदर्श

05 मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रतिलिपि पेश किये हैं प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है वकुलाए पक्षकारान की वहस सुनी गई एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी रिकार्ड अवलोकन किया गया वकील वादी ने अपने वाद–पत्रों के तथ्यों को दोहराया वादी ने अपने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 जमाबंदी सवंत् 2059 से 2062 प्रदर्श 02 वारिस प्रमाण–पत्र सुगन प्रदर्श 03 राशन कार्ड कल्लाराम प्रदर्श 04 वंसावली प्रदर्श 05 मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रतिलिपि पेषित की है तथा मौखिक साक्ष्य में एक वादी ने अपने स्वयं के वयान नबंर 2 किरोडी न0 3 सम्पत के बयान कराये हैं प्रतिवादिनी की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये हैं तथा मौखिक साक्ष्य में अपने स्वयं के वयान भी नहीं कराये हैं दिनांक 11.01.2018 को प्रतिवादिनी ने साक्ष्य को न्यायालय द्वारा कई अवसर देने के बाबजूद भी कोई साक्ष्य पेश नहीं किये गये हैं तथा साक्ष्य बंद कर दी गई थी मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया जिससे वादी सुगन पुत्र दौजी का एक मात्र वारिस साबित होता है तथा विवादित आराजी पर उसका कब्जा काश्त वखूबी साबित होता है। इस प्रकार वाद–पत्र में वर्णित विवादित आराजी ख0न0 50 रकवा 19 विश्वा 51 रकवा 1 वीघा 15 विश्वा 76 रकवा 10 विश्वा 177 रकवा 14 विश्वा 259 रकवा 1 वीघा 6 विश्वा 355 रकवा 7 वीघा 4 विश्वा कुल किता 6 रकवा 12 वीघा 8 विश्वा हिस्सा 1/3 वाके ग्राम खोहरी तह0 वैर का खातेदारी काश्तकार काबिज आराजी घोषित होने का अधिकारी है अतः उसे विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है अतः तनकी न0 1 वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी न0 2, 3, 4, 5 ये तनकियां एक दूसरे से सबंधित हैं इसलिए इन तनकियों को निर्णय एक साथ किया जा रहा है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व मौखिक साक्ष्य के आधार पर तनकी न0 1 वादी पक्ष में तय की जा चुकी है इस आधार पर प्रतिवादिनी द्वारा दिनांक 02.02.2009 को वादी को धमकी दिया जाना साबित होता है तथा मृतक सुगन का वादी कल्ला एक मात्र वारिस होना साबित होता है तथा प्रतिवादिनी मृतक सुगन की वारिस एवं विधवा साक्ष्य आधार पर साबित नहीं होती है अतः ये तनकीयात प्रतिवादिनी के विरूद्व एवं वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी वाद–पत्र में चाहे गये अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है तथा वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य है अतः वाद वादी के पक्ष में डिक्री किया जाता है। वादी को विवादित आराजी ख0न0 50 रवा 19 विश्वा 51 रकवा 1 वीघा 15 विश्वा।76 रकवा 10 विश्वा 177 रकवा 14 विश्वा 259 रकवा 1 वीघा 6 विश्वा 355 रकवा 7 वीघा 4 विश्वा कुल किता 6 रकवा 12 वीघा 8 विश्वा वाके ग्राम खोहरी तह0 वैर में 1/3 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। जिसका इंद्राज कागजात पटवार दर्ज किया जावे। तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है की वह वादी–गण के निहित हिस्से के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत पैदा नही करे पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखित दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ललित मीना)
उपखण्ड अधिकारी
वैर(भरतपुर)